Ex.P-241

कथन – रविन्द्र मिंज

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	रविन्द्र मिंज पिता रहमत राम मिंज
उम्र	–	29 वर्ष
पता	–	ग्राम श्रीकोट नवाटोली पोस्ट जवाहर नगर तहसील सामरी कुशमी जिला बलरामपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	97542–39040
व्यवसाय	–	कनिष्ठ तकनीकी सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम, कुशमी जिला बलरामपुर (छ0ग0)

—00—

मैं रविन्द्र मिंज पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर नागरिक आपूर्ति निगम, कुशमी जिला बलरामपुर में 04 जनवरी 2014 से पदस्थ हूं। इसके पूर्व इसी पद पर बैकुंठपुर जिला कोरिया में पदस्थ था। मेरे पास शासकीय मोबाईल नंबर नहीं है तथा मेरा निजी मोबाईल नंबर 97542–39040 है, यह मेरे नाम से ही है।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे निजी मोबाईल नंबर 97542–39040 से श्री **संदीप अग्रवाल** कंपनी सचिव, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर से उनके शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03999 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 13.01.2015 के 15:03:02 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 13.01.2015 के 15:04:54 बजे का कॉल मेरे निजी मोबाईल नंबर से श्री **संदीप अग्रवाल** से उनके शासकीय मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में श्री अग्रवाल साहब से मैंने पूछा था कि कॉमन चावल लेना है क्या। तब अग्रवाल साहब ने बताया था कि कॉमन चावल भी लेना है। चावल का जो अनुबंध है उसमें वेरायटी शो करता है, उसके हिसाब से चावल लेना है। ए ग्रेट का अनुबंध है और कॉमन जमा करता है तो उसमें पैसा कटता है, पर इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा था कि इस संबंध वह और क्लीयर कर लेते है। अग्रवाल साहब द्वारा मुझसे यह भी कहा गया था कि इस साल का जो है, देख लेना हमारी क्या व्यवस्था करोगे। उनकी इस बात को मैं समझ नहीं पाया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी जो चावल की खरीदी चल रही है उसमें हम लोगों के लिये कैसा क्या करना है, इस संबंध में हमारे कार्यालय के कनिष्ठ तकनीकी सहायक मुकेश सोनी से बात कर लेना। मैंने मुकेश सोनी से इस संबंध में पूछा था तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। वे मेरे से सीनियर है, अतः मैंने दूबारा उनसे नहीं पूछा था। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ